



RERA REGISTRATION NO.: RC/REP/HARERA/GGM/357/89/2019/51 (www.haryanarera.gov.in)

## सूचना

Licence No.: 51 OF 2019 DATED 06.03.2019

परियोजनाः Orchard Avenue 2, कमर्सियल स्पेसः Signum 93-2 जबकि

जवाक 1. निम्नलिखित आवंटी को उपरोक्त परियोजना में उनके आवेदन के तदनानुसार निम्नलिखित इकाई आवंटित की गयी थी:

क्रमांक	आवंटी का नाम	आवंटित इकाई	बीबीए तिथि	टीपीए तिथि	रद्द करने की सूचना देने वाले बैंक के पत्र की तिथि	उक्त बैंक पत्र के बारे में आवटी को सूचित करने वाले पत्र की तिथि
1	BHIM SINGH	I-1106	05-11-2020	21-11-2020	11-09-2023	20-09-2023
2	ATUL JYOTI UPADHAYA	J-1105	30-12-2019	01-01-2020	11-09-2023	20-09-2023
3	PRAMOD SINGH KARAKOTI	M-601	31-12-2019	23-06-2020	12-07-2023	27-07-2023

- उपरोक्त आवंटी ने संबंधित बैंक के साथ प्रासंगिक समय पर एक त्रिपक्षीय समझौता किया था और तदनसार, ऋण वितरित किया गया था।
- 3. उक्त त्रिपक्षीय समझौता के अनुसार उक्त ऋण के मुगतान में चूक की स्थिति में आवटन रद्द कर दिया जाएगा और प्राप्त राशि का मुगतान संबंधित बैंक की सूचना पर बयाना राशि की कटौती के बाद सीधे बैंक को किया जाएगा।
- 4. संबंधित बैंक ने हमें सूचित किया है कि उपरोक्त आवटी ने उक्त ऋण राशि के भुगतान में चूक की है और साथ ही आवटन को उक्त त्रिपक्षीय समझौता के शर्तानुसार रद्द (समाप्त) करने और प्राप्त राशि से बयाना राशि की कटौती के बाद सीधे बैंक को चुकाने के लिए कहा है।
- 5. उपरोक्त आवटी को उचित समय पर इस सूचना के बारे में सूचित किया गया है। हालांकि उपरोक्त आवटी की ओर से उक्त ऋण की अदायगी में हुई चूक को ठीक करने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए यह सूचना एक बार पुनः दी जा रही हैं।

इसके सूचना के जिरए सूचित किया जाता है उपरोक्त आवंटी ने यदि उक्त ऋण की अदायगी में में हुई चूक को अगले 10 दिनों में ठीक नहीं किया तो हम उक्त त्रिपक्षीय समझौता के शर्तानुसार संबंधित बैंक के सूचनानुसार आवंटन को रह (समाप्त) करने और प्राप्त राशि से बयाना राशि की कटौती के बाद शेष राशि को सीधे बैंक को चुकाने के लिए मजबूर होंगे। ऐसे मामले में, उपरोक्त आवंटी के पास उक्त आवंटन पर कोई ग्रहणाधिकार या दावा नहीं रहेगा और कंपनी अपने विवेकाधिकार पर किसी भी व्यक्ति एवम पार्टी को उक्त आवंटन को बेचने, देने या स्थानांतरित करने की हकदार होंगी।